न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 69/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 23.03.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. गोपी आत्मज श्री हरपाल आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बुढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
2. सूरजमल आत्मज हरपाल आयु 50 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बुढकररवर तहसील नैना जिला बून्दी
3. जसराम आत्मज हरपाल आयु 48 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बुढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
4. सुवा आत्मज श्री हरपाल आयु 45 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बुढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
5. रतन आत्मज श्री हरपाल जी आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बुढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
6. भागचंद पुत्र प्रभु आयु 30 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम बुढकरवर, तहसील नैनवां जिला बूंदी।
7. हनुमान आ० प्रभू आयु 25 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बुढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
8. रमेश पुत्र किशना, आयु 48 वर्ष जाति मीना, निवासी ग्राम बुढकरवर, तहसील नैनवा, जिला बूंदी।
9. काली बाई पत्नि स्व० किशना आयु 68 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बुढकरवर तहसील नैनवा, जिला बून्दी
10. प्रभूली पुत्री हाथिड़ा पत्नि रामगोपाल आयु 55 वर्ष जाति मीणा हाल निवासी ग्राम आटून तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर
11. मनभर बाई पुत्रि हाथिड़ा आयु 50 वर्ष जाति मीणा हाल निवासी ग्राम आटून तहसील सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामलाल आत्मज़ भंवरलाल आयु 35 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बूढकवर तहसील नैनवा जिला बून्दी

अति0 सं0 आयुक्त
कोटा

2. हरिराम आत्मज श्री भंवरलाल आयु 32 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बूढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. छोटू आत्मज श्री भंवरलाल आयु 30 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बूढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
4. कमला बाई पत्नि भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बूढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी
5. धर्म बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम चाणदा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
6. दी स्टेट आफ राजस्थान

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक –अपीलार्थीगण
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 6

::निर्णय::

दिनांक 24.04.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) के द्वारा प्रकरण संख्या 158/प्रा0/2019 बउनवान गोपी वगे0 बनाम रामलाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित संशोधन धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मेंटेनेबल नहीं होने से निर्णय दिनांक 17.11.2021 से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17.11.2021 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। ग्राम कनकपुरा तहसील नैनवा मे खसरा सं0 12 की रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं0 13 की रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 14 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा सं0 16 की रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन चाह स्थित है तथा ग्राम बूढकरवर

तहसील नैनवा मे खसरा सं0 33 की रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 326 की रकबा 14 बिस्वा, खसरा सं0 327 की रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 328 की रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं0 329 की रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 338 की रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 339 की रकबा 2 बीघा, खसरा सं0 340 की रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 346 की रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 359 की रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा सं0 405 की रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि के संबंध मे अप्रार्थीगण/रेस्पो० सं० 1 लगायत 5 एवं स्वर्गीय कल्याणी बेवा श्री मथुरालाल मीणा ने अपीलान्ट सं० 1 लगायत 5 व अपीलान्ट सं0 6 व 7 के पिता स्व० श्री हरपाल आत्मज श्री धूलीलाल स्व० श्रीमति जगदीशी तथा अपीलार्थी सं० 8 एवं 9 तथा श्रीमति छोटी बेवा श्री प्रभूलाल के विरूद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी नैनवा मे एक वाद बाबत विभाजन आराजी पेश किया था, जिसकी वाद सं० 19 सन 1998 तथा उनवान मुस० कमला बाई आदि बनाम हरपाल मीणा आदि था। उक्त वाद की दिनांक 6.12.1999 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय एवं डिक्री के अनुसार ग्राम कनकपुरा तहसील नैनवा की खसरा सं0 14 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा तथा ग्राम बूढकरवर तहसील नैनवा की खसरा सं0 359 की रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा सं0 33 की रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा में से पूर्वी ओर की 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि उक्त वाद मे वादीगण अप्रार्थीगण/रेस्पो० सं0 1 लगायत 5 व अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 4 की दादी व अप्रार्थी रेस्पो० सं० 5 की सास स्व० श्रीमती कल्याणी के हिस्से मे आई थी तथा ग्राम कनकपुरा एवं ग्राम बूढकरवर की उपरोक्त वर्णित शेष भूमि उक्त वाद मे प्रार्थीगण अपीलान्ट सं० 1 लगायत 5 के पिता एवं प्रार्थीगण/अपीलान्ट सं0 6 व 7 के पिता श्री हरपाल आत्मज श्री धूलीलाल तथा स्व० श्रीमति जगदीशी एवं प्रार्थीगण/अपीलार्थी सं० 8 लगायत 11 के हिस्से मे बटवारे के निर्णय एवं डिक्री अनुसार आयी थी। उक्त पूर्व वाद सं0 19/98 की पक्षकार श्रीमति जगदीशी पुत्री श्री हाथिड़ा जिसका नाम वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, का देहावसान हो गया है, वह लाऔलाद फौत हुई है। उसकी वारिस उसकी सगी बहिन प्रार्थीनी/अपीलार्थी सं0 11 व 12 श्रीमति प्रभूली एवम श्रीमति मनभर है। उपरोक्त वर्णित विभाजन के वाद स0 19 सन 1998 के निर्णय एवं डिक्री के आधार पर भूमियो के विभाजन अनुसार ग्राम कनकपुरा का नामान्तकरण सं0 55 दिनांक 23.5.2000 एवं ग्राम बूढकरवर का नामान्तकरण सं0 181 दिनांक 23.5.2000 खोले गये। जिसमें स्व० श्रीमति कल्याणी का नाम मुताबिक निर्णय एवं डिक्री अप्रार्थीगण/रेस्पो० नं० 1 लगायत 5 के साथ लिख दिया था। किन्तु गलती से उसका नाम काट दिया गया, इसलिये उसका नाम निर्णय एवं डिक्री के अनुसार अप्रार्थीगण/रेस्पो० न० 1 लगायत 5 के साथ दर्ज नहीं होकर वाद मे प्रतिवादीगण स्व० हरपाल आदि के साथ–साथ विभाजन मे उसको प्राप्त भूमि मे

ही दर्ज होता चला गया। इसी कारण श्रीमती कल्याणी के देहावसान के उपरान्त प्रार्थीगण/अपीलान्ट को विभाजन मे प्राप्त उनके हिस्से की ग्राम कनकपुरा की ख० न0 12, 13 एवं 16 तथा ग्राम बूडकरवर की ख० न० 326, 327, 328, 329, 338, 339, 340, 346, 405 एवं 461/33 की भूमि राजस्व अभिलेखो मे उनके वारिस अप्रार्थीगण/रेस्पो० न0 1 से 5 का नाम दर्ज हो रहा है, जो अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। इसकी जानकारी होते ही प्रार्थीगण/अपीलान्ट ने उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। उक्त त्रुटि राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थीगण/ अपीलान्ट को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विभाजन की डिक्री के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद होना चाहिये तथा राजस्व अधिकारियो द्वारा की गई उक्त त्रुटि एक टंकण त्रुटि है, जिसे धारा 136 एलआरएक्ट के माध्यम से दुरूस्त किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाते हुये मुताबिक पूर्व निर्णय एवं डिक्री राजस्व अभिलेखो मे संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करते हुये ग्राम कनकपुरा तहसील नैनवा की ख० न0 12, 13, 16, किता तीन की कुल 21 बीघा 8 बिस्वा एवं ग्राम बूढकरवर तहसील नैनवा की ख० न0 326, 327, 328, 329, 338, 339, 340, 346, 405 एवं 461/33 कुल 10 किता की 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि के राजस्व अभिलेखो मे से अप्रार्थी/रेस्पो० नं० 1 लगायत 5 का नाम विलोपित कर राजस्व अभिलेखो को दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में रेस्पो0 लगायत 1 से 5 को रजिस्टर्ड नोटिस को जारी किये गये 30 दिवस से अधिक का समय पूर्ण होने से तथा उपस्थित नहीं होने पर तामील पूर्ण मानी जाकर प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखंड अधिकारी नैनवा मे एक वाद बाबत विभाजन आराजी पेश हुआ था, जिसका वाद सं० 19/1998 तथा उनवान मुस० कमला बाई आदि बनाम हरपाल मीणा आदि था। उक्त वाद की दिनांक 6.12.1999 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। उपरोक्त वर्णित विभाजन के वाद स0 19/1998 के निर्णय एवं डिक्री के आधार पर भूमियों के विभाजन अनुसार ग्राम कनकपुरा का नामान्तकरण सं0 55 दिनांक 23.5.2000 एवं ग्राम बूढकरवर का नामान्तकरण सं0 181 दिनांक 23.5.2000 खोले गये। जिसमें स्व० श्रीमति कल्याणी का नाम

मुताबिक निर्णय एवं डिक्री अप्रार्थीगण/रेस्पो० नं० 1 लगायत 5 के साथ लिख दिया था। किन्तु गलती से उसका नाम काट दिया गया, इसलिये उसका नाम निर्णय एवं डिक्री के अनुसार अप्रार्थीगण/रेस्पो० न० 1 लगायत 5 के साथ दर्ज नहीं होकर वाद मे प्रतिवादीगण स्व० हरपाल आदि के साथ–साथ विभाजन मे उसको प्राप्त भूमि मे ही दर्ज होता चला गया। इसी कारण श्रीमती कल्याणी के देहावसान के उपरान्त प्रार्थीगण/अपीलान्ट को विभाजन मे प्राप्त उनके हिस्से की ग्राम कनकपुरा की ख० न0 12, 13 एवं 16 तथा ग्राम बूडकरवर की ख० न० 326, 327, 328, 329, 338, 339, 340, 346, 405 एवं 461/33 की भूमि राजस्व अभिलेखो मे उनके वारिस अप्रार्थीगण/रेस्पो० न0 1 से 5 का नाम दर्ज हो रहा है, जो अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अमल दरामद के वक्त ही त्रुटि हुई है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त त्रुटि को स्वीकार किये जाने के उपरांत भी संशोधन नहीं किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। विभाजन की डिक्री के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद होना चाहिये तथा राजस्व अधिकारियो द्वारा की गई उक्त त्रुटि एक टंकण त्रुटि है, जिसे धारा 136 एलआरएक्ट के माध्यम से दुरूस्त किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाते हुये मुताबिक पूर्व निर्णय एवं डिक्री राजस्व अभिलेखो मे संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करते हुये ग्राम कनकपुरा तहसील नैनवा की ख० न0 12, 13, 16, किता तीन की कुल 21 बीघा 8 बिस्वा एवं ग्राम बूढकरवर तहसील नैनवा की ख० न0 326, 327, 328, 329, 338, 339, 340, 346, 405 एवं 461/33 कुल 10 किता की 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि के राजस्व अभिलेखो मे से अप्रार्थी/रेस्पो० नं० 1 लगायत 5 का नाम विलोपित कर राजस्व अभिलेखो को दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2012(2) Page No. 814, RRT 2018(1) Page No. 361** पेश किये।

5. प्रस्तुत प्रकरण में अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित संशोधन धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मेंटेनेबल नहीं होने से निर्णय दिनांक 17.11.2021 से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। उक्त पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विभाजन के वाद स0 19/1998 के निर्णय एवं डिक्री के आधार पर भूमियों के विभाजन अनुसार ग्राम कनकपुरा का नामान्तकरण सं0 55 दिनांक 23.5.2000 एवं ग्राम

बूढकरवर का नामान्तकरण सं0 181 दिनांक 23.5.2000 खोले गये। विभाजन की डिक्री के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद होना चाहिये तथा राजस्व अधिकारियो द्वारा की गई उक्त त्रुटि एक टंकण त्रुटि है, जिसे धारा 136 एलआरएक्ट के माध्यम से दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के वक्त ही त्रुटि हुई है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त त्रुटि को स्वीकार किये जाने के उपरांत भी संशोधन नहीं किया गया।

6. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में संशोधन किया जाना मानते हुए भी प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया, जो स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि उक्त त्रुटि उपखण्ड अधिकारी, नैनवां के निर्णय दिनांक 06.12.1999 की पालना करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा वादीगण मथुरा का नाम दोनों पक्षों (वादी एवं प्रतिवादी) की तरफ रखने से आया था। उक्त से यह प्रकट होता है कि पटवारी की त्रुटि से इन्द्राज गलत हुआ, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में संशोधन किया जाना अपेक्षित मानते हुए भी खारिज करना त्रुटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण भी प्रकट होता है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 मूलतः लिपिकीय त्रुटियों को शुद्ध करने हेतु ही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2021 विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां का निर्णय दिनांक 17.11.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, नैनवां को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार, नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में वांछित संशोधन करे।

7. निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

24/04/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा